न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 229/2005 (2/03) अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. नूरमौहम्मद पुत्र भोकला जाति मेव

2. जगमाल पुत्र भोकला जाति मेव

3. जसमाल पुत्र भोकला जाति मेव

4. अब्दुल पुत्र भोकला जाति मेव

5. मु0 मगरी बेवाह दीनमौहम्मद जाति मेव

निवासीयान ग्राम घासोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर

6. रसीदन पुत्री दीनमौहम्मद जाति मेव ------- मृतक

6/1. सन्जू पुत्र आसू खां माता रसीदन उर्फ रशमीना उम्र 6 वर्ष

6/2. रेशमा पुत्री आसू खां माता रसीदन उर्फ रशमीना उम्र 4 साल

6/3 फिरासेज पुत्र आसू खां माता रसीदन उर्फ रशमीना उम्र 2 साल

नाबालिगान जर्ये सरपरस्ती नानी मगरी पत्नि दीनमौहम्मद जाति मेव

निवासीयान ग्राम घासोली तह0 किशनगढबास जिला अलवर

7. सलमा पुत्री दीनमौहम्मद जाति मेव उम्र 10 साल नाबालिग जर्ये

सरपरस्त मु0 मगरी बेवाह दीनमौहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम

घासोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:---- वादीगण/अपीलांटस

बनाम

1 जुम्मा पुत्र जगमाल जाति मेव निवासी ग्राम घासोली तहसील

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

किशनगढबास जिला अलवर राज0

2 दी अलवर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा खैरथल जिला अलवर जर्ये शाखा प्रबन्धक ।

:---- प्रतिवादी/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास

दिनांक 9.12.2002

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- सर्व श्री सर्वेश नारायण गुप्ता, विशम्भर दयाल

2. वकील रेस्पो0 :- श्री रवि गुप्ता

निर्णय दिनांक 2.03.2021

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा राजस्व वाद संख्या 160/2002 में पारित निर्णय दिनांक 9.12.2002 के खिलाफ है,जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद धारा 12 सी0 पी0 सी0 में खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत किया। दौराने विचारण वाद प्रतिवादी ने धारा 12 सी0 पी0 सी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने पूर्व में वाद पत्र प्रस्तुत किया, जो अदम हाजरी में खारिज हो गया था। इसके बाद वादी ने रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र किया था, जो भी खारिज हो गया था। इसके बाद वादी ने पुनः वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया । पूर्व के वाद और मौजूदा वाद में कॉज ऑफ एक्शन समान है । इसलिये मौजूदा वाद पर धारा 12 सी0 पी0 सी0 के प्रावधान लागू होते हैं। अतः वाद पत्र खारिज किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वाद पत्र खारिज किया है,जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि पूर्व का वाद मेरिटस पर निर्णीत नहीं हुआ था । इसलिये मौजूदा वाद पर कॉज ऑफ एक्शन का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलव

सिद्धान्त लागू नहीं होता है, परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया । 2016 (2) आर0 आर0 टी0 एक्ट पेज 1387 में आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 की व्याख्या करते हुये अभिनिर्धारित किया गया है कि पूर्व का वाद गुंणावगुण पर निर्णित नहीं होने के कारण नया वाद वर्जित नहीं है । उन्होंने आगे तर्क दिया कि आदेश 9 नियम 4 सी0 पी0 सी0 में प्रतिपादित किया गया है कि जहां वाद नियम 2 या नियम 3 के अधीन खारिज कर दिया जाता है, वहां वादी नया वाद ला सकेगा । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती वाद में कॉज ऑफ एक्शन समान है । कॉज ऑफ एक्शन समान होने के कारण धारा 12 सी0 पी0 सी0 के तहत सही तौर पर मौजूदा वाद खारिज किया गया है । अतः अपील खारिज की जावे । विद्वान वकील ने अपनी बहस के समर्थन में 2006 (1) डी0 एन0 जे0 राजस्थान पेज 16 व 1988 ए0 आई0 आर0 मद्रास पेज 156 का हवाला दिया ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि वादी का पूर्ववर्ती वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुआ था । उक्त वाद गुणावगुण के आधार पर निर्णित नहीं हुआ था । अगर पूर्ववर्ती वाद गुणावगुण पर निर्णित होता और पुनः उसी वाद हेतुक के लिये वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ही कॉज ऑफ एक्शन का सिद्धान्त लागू होता है । अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में एवं विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में हम प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने हेतु प्रकरण रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.12.2002 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 01.04.2021 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर